

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या. 5717/2000

1. रामचंदर
 2. कन्हैयालाल
- दोनों श्री मूलचंद के पुत्र
3. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी मूलचंद, निवासी मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर
 2. अतिरिक्त कलेक्टर, अजमेर
 3. राजस्थान राज्य, तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर के माध्यम से
- उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आर.के. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री कृतिम शर्मा के साथ
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री नीरज बत्रा, जी.सी.

**माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश**

09/10/2024

1. यह याचिका राजस्व बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') के दिनांक 19.07.2000 के निर्णय तथा दिनांक 26.09.2000 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिए गए संदर्भ को स्वीकार किया गया था तथा याचिकाकर्ताओं की समीक्षा को खारिज कर दिया गया था।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि 15.09.1953 को किशनगढ़ तहसील के ग्राम सांवतसर में स्थित खसरा संख्या 812 (संशोधित खसरा संख्या 480) में स्थित भूमि मूलचंद अहीर (याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के पिता और याचिकाकर्ता संख्या 3 के पति) को खेती के लिए आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि 15 बीघा थी और आवंटन इस शर्त पर हुआ था कि आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर भूमि पर एक कुआं विकसित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 1953 से वे विचाराधीन भूमि पर खेती के कब्जे में हैं। 14.04.1986 को, याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 का अधिनियम') की धारा 88, 89 और 91 के तहत एक मुकदमा दायर किया क्योंकि तत्कालीन तहसीलदार याचिकाकर्ताओं के कब्जे में

हस्तक्षेप कर रहे थे। वाद का निर्णय 31.03.1987 को हुआ और याचिकाकर्ताओं को प्रश्रुगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। निर्णय और डिक्री को चुनौती नहीं दी गई क्योंकि प्रतिवादियों ने अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया। डिक्री के परिणामस्वरूप, अप्रैल, 1987 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया। 21.02.1994 को, अतिरिक्त कलेक्टर, अजमेर ने अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत बोर्ड को एक संदर्भ दिया। संदर्भ इस आधार पर था कि प्रश्रुगत भूमि का आवंटन 1955 के अधिनियम की धारा 16(6) के प्रावधानों का उल्लंघन था, क्योंकि आवंटित भूमि एक 'गैर मुमकिन तालाब' थी। संदर्भ को 20.01.1996 को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि प्रश्रुगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर समीक्षा 19.08.1998 को स्वीकार कर ली गई। 19.07.2000 को संदर्भ पुनः स्वीकार कर लिया गया और उप-मंडल अधिकारी (संक्षेप में 'एसडीओ कोर्ट') द्वारा पारित दिनांक 31.03.1987 के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका 26.09.2000 को खारिज कर दी गई, अतः वर्तमान याचिका।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि का आवंटन 1953 में हुआ था और 1955 का अधिनियम 24.03.1955 से लागू हुआ था। बोर्ड ने संदर्भ स्वीकार करने में गलती की। दलील यह है कि कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत आवंटन पत्र की फोटोकॉपी को अभिलेख से सत्यापित किए बिना ही हटा दिया गया।

4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने दलील दी कि आवंटन पत्र की केवल एक फोटोकॉपी पेश की गई थी, मूल प्रति नहीं। यह भी तर्क दिया गया कि राजस्व अभिलेखों में भूमि 'तालाब' के रूप में दर्ज थी और इसे खेती के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता था।

5. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और उनकी सक्षम सहायता से दलीलों का अवलोकन किया।

6. एसडीओ कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वाद का फैसला सुनाया कि वादीगण कब्जा साबित करने में सक्षम थे। यह बताना उचित होगा कि दायर लिखित बयान में, वादीगण के पूर्वज को आवंटित भूमि के दावे पर कोई विवाद नहीं किया गया था।

7. बोर्ड ने संदर्भ पर निर्णय करते समय इस तथ्य पर भरोसा किया है कि संवत् 2042-2045 के राजस्व रिकॉर्ड में, भूमि-विवादित भूमि को 'गैर मुमकिन तालाब' के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि आवंटन 1953 में हुआ था।

8. दिनांक 15.09.1953 के आवंटन पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया यह तर्क कि 1955 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि आवंटन 1953 का है, इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता 1955 से पहले का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत करके 1953 से भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में विफल रहे। 1955 के अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत, बोर्ड को आदेश या डिक्री की वैधता या औचित्य का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड मंगवाने और उसकी जाँच करने का अधिकार है।
9. यह बात नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती कि प्रस्तुत आवंटन पत्र की प्रति राजस्व प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख का हिस्सा होगी। न तो बोर्ड और न ही राजस्व प्राधिकारियों ने अभिलेख से प्रस्तुत दस्तावेज़ का सत्यापन किया।
10. आवंटन के वर्ष, डिक्री पारित करने और संदर्भ की मांग के बीच के समय अंतराल ने इसमें शामिल विभिन्न पहलुओं और 1955 के अधिनियम की प्रयोज्यता पर प्रभाव की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड की गहन जांच को आवश्यक बना दिया। परिणामस्वरूप, विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया और मामले को बोर्ड को वापस भेज दिया गया ताकि संबंधित भूमि से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करने के बाद संदर्भ पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।
11. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

रिया/18

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



[2024:आरजे-जेपी:42702]

[सीडब्ल्यू-5717/2000]

Tarun Mehra
Advocate